**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**06.12.2024 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1408 का उत्तर**

**भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवाओं में उप-संवर्गों का सृजन**

**1408. श्री विवेक के. तन्खा:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या 2019 में लिया गया मंत्रिमंडल निर्णय भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवाओं (आईआरएमएस) में उप-संवर्गों के सृजन की अनुमति देता है;

(ख) क्या सरकार ने आईआरएमएस के उप-कैडर के सृजन के लिए कैबिनेट की मंजूरी ले ली है;

(ग) क्या सरकार कैबिनेट निर्णय के अभाव में आईआरएमएस के उप-कैडर के सृजन में सक्षम है; और

(घ) क्या सेवाओं को उप-कैडरों में विभाजित करने का सरकार का निर्णय किसी विशेषज्ञ के प्रतिवेदन या अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित है?

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य बातों के साथ-साथ 24.12.2019 को भारतीय रेल प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) नामक एक नए ग्रुप-'ए' केंद्रीय सेवा के सृजन को मंजूरी दी थी, जिसकी भर्ती विशेष रूप से रेलों के लिए डिज़ाइन की जाएगी। यह रेलों की आवश्यकतानुसार इंजीनियरों और गैर-इंजीनियरों/गैर-तकनीकी स्नातकों को अवसर प्रदान करेगा। विभिन्न विषयों से वार्षिक प्रवेश का इस प्रकार अनुमान लगाया जाएगा ताकि रेलों की विभिन्न नौकरियों की विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता और अभिक्षमता के अनुसार तैनात किया जाएगा ताकि उन्हें किसी कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने और समय के साथ रेलों की व्यावसायिक आवश्यकताओं और परिचालन पर चौतरफा दृष्टिकोण विकसित कर सके।

मंत्रिमंडल के आदेशानुसार, रेलों में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के श्रमशक्ति की विशिष्ट आवश्यकता पर विचार करते हुए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि भर्ती उप-संवर्गो के साथ एक एकीकृत सेवा (आईआरएमएस) में की जाएगी, जो रेलों के 'कार्यात्मक क्षेत्रों' अर्थात यातायात, लेखा, कार्मिक, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार तथा भंडार के अनुरूप होंगे।

*****